

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

1789

/आर0ए-पुनर्ग्रहण/2021-22,

दिनांक:-मई 18, 2022

आदेश

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने पत्र संख्या-126/सात-बी/मू0व्य0/2022, दिनांक 07-05-2022 में उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पत्र संख्या-48/अर्जन/म0वृ0वि0प्रा0/2022-23, दिनांक 08-04-2022 द्वारा लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोगार्थ जनपद, मथुरा की तहसील, मथुरा सदर के राजस्व ग्राम बाटी की सार्वजनिक उपयोग की भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोगार्थ जनहित में जनपद, मथुरा की तहसील, मथुरा सदर के राजस्व ग्राम बाटी की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

2- जिलाधिकारी, मथुरा ने अपने प्रस्ताव दिनांक 07-05-2022 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा के पत्र संख्या-48/अर्जन/म0वृ0वि0प्रा0/2022-23, दिनांक 08-04-2022 में उल्लिखित मांग के अन्तर्गत लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोगार्थ जनपद, मथुरा की तहसील, मथुरा सदर के राजस्व ग्राम बाटी के मध्य आ रही ग्राम समाज की नाली एवं चकरोड की भूमि खसरा संख्या-283मि0 क्षेत्रफल 0.0180 हे0 श्रेणी 6(1) नाली, खसरा संख्या-291मि0 क्षेत्रफल 0.0284 हे0 श्रेणी 6(1) नाली, खसरा संख्या-306 क्षेत्रफल 0.0940 हे0 श्रेणी 6(1) नाली, खसरा संख्या-343मि0 क्षेत्रफल 0.0061 हे0 श्रेणी 6(1) नाली, खसरा संख्या-364मि0 क्षेत्रफल 0.0179 हे0 श्रेणी 6(1) नाली, कुल किता 05 क्षेत्रफल 0.1644 हे0 तथा खसरा संख्या-284मि0 क्षेत्रफल 0.0236 हे0 श्रेणी 6(2) चकमार्ग, खसरा संख्या-298 क्षेत्रफल 0.0100 हे0 श्रेणी 6(2) चकमार्ग, खसरा संख्या-336मि0 क्षेत्रफल 0.0549 हे0 श्रेणी 6(2) चकमार्ग, खसरा संख्या-365मि0 क्षेत्रफल 0.0630 हे0 श्रेणी 6(2) चकमार्ग, खसरा संख्या-375 क्षेत्रफल 0.0300 हे0 श्रेणी 6(2) चकमार्ग, खसरा संख्या-377मि0 क्षेत्रफल 0.0092 हे0 श्रेणी 6(2) चकमार्ग, कुल 06 किता क्षेत्रफल 0.1907 हे0 इस प्रकार तदनुसर कुल 11 किता क्षेत्रफल 0.3551 हे0 सुरक्षित श्रेणी की भूमि का पुनर्ग्रहण प्रस्ताव अनुसूची में निम्नवत प्रेषित किया है:-

अनुसूची									
क 0 सं 0	तहसील	गांव/ ग्राम सभा का नाम	खाता संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)	भूमि श्रेणी/प्रकृति की	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का चार गुना (भूमि का क्षेत्रफल का चार गुना)	भूमि का वाजार मूल्य (भूमि का क्षेत्रफल का मूल्य का चार गुना)	पूँजीकृत मूल्य का 150 गुना	कुल मूल्य (कॉलम 7+9 का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मथुरा	बाटी	01309/283मि. 01309/291मि. 01309/306 01309/343मि0 01309/364मि.	0.0180 0.0284 0.0940 0.0061 0.0179	श्रेणी 6-1/ अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि -नाली				
			5 किता	0.1644					
			01317/284मि. 01317/298 01317/336मि 01317/365मि 01317/375 01317/377मि.	0.0236 0.0100 0.0549 0.0630 0.0300 0.0092	श्रेणी 6-2/ अकृषिक भूमि -स्थल, सड़के, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हों -चकमार्ग				
			6 किता	0.1907					
			कुल 11 किता	0.3551					
						78,12,200	78,12,200	1464.45	78,13,664.45

तहसील मथुरा (सदर) के राजस्व ग्राम बाटी में पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित ग्राम समा बाटी की भूमि का जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा निर्धारित दर एवं भूमि का वाजार मूल्य एक समान रू0 55,00,000/-प्रति हेक्टेयर होने के दृष्टिगत शासनादेशानुसार इसका चार गुना रू0 2,20,00,000/- X 0.3551 = रू0 78,12,200/- + पूँजीकृत मूल्य रू0 1464.45= रू0 78,13,664.45/- (रूपया अठ्ठहत्तर लाख तेरह हजार छः सौ चौंसठ तथा 45 पैसे मात्र) पूर्णांक में रू0 78,13,664/-रूपया (अठ्ठहत्तर लाख तेरह हजार छः सौ चौंसठ रूपया मात्र) मूल्यांकन होता है।

प्रस्ताव में अधिग्रहण की जाने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि के मूल्यांकन के विषय :
उक्त है कि ग्राम बाटी की पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि के कुल गाटे 11 का रकवा 0.3551 हे०
ग्राम सभा भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर में से जो अधिक हो, व
प्रकार भूमि के मूल्य का चार गुना मु० 78,12,200/-रुपया + मालगुजारी का 150 गुना पूँजीकृत मूल्य
1464.45/-रुपया अर्थात् पूर्णांक में मु० 1464/-रुपया = पूर्णांक में कुल धनराशि
मु०-78,13,664/-रुपया (रु० अट्ठहत्तर लाख तैरह हजार चौंसठ रुपया मात्र) होता है।

4- उक्त भूमि के संबंध में भूमि प्रबन्धक समिति बाटी द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक
07-09-2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की है। उप जिलाधिकारी, मथुरा (सदर) ने अपनी आख्या
दिनांक 18-04-2022 में यह अंकित किया है कि राजस्व ग्राम बाटी में लैण्ड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत
पुनर्ग्रहण की जाने वाली कुल 0.3551 हे० भूमि मौके पर रिक्त है तथा किसी भी न्यायालय में कोई वाद
विचाराधीन नहीं है। स्थल पर नाली एवं चकरोड की भूमि के पुनर्ग्रहण किये जाने से अन्य किसी कृषक
का न तो मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और न कोई सिंचाई की समस्या उत्पन्न होगी। राजस्व अभिलेख एवं
राजस्व मैप के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग योजना में सम्मिलित भू-स्वामियों की भूमि के मध्य में आ रही
नाली एवं चकरोड की भूमि के अवलोकन से विदित हुआ कि (पुनर्ग्रहण की जा रही नाली एवं चकरोड
की भूमि लैण्ड पूलिंग स्कीम की बाउण्ड्री के अंदर ही आरम्भ एवं समाप्त हो रही है अर्थात् जिनकी कोई
सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है), जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या
32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 3-6-2016 के प्रस्तर संख्या-5(3) में उल्लेख किया
गया है। उप जिलाधिकारी, मथुरा (सदर) ने अपनी आख्या में राजस्व ग्राम बाटी में लैण्ड पूलिंग स्कीम
के अंतर्गत पुनर्ग्रहण की जा रही ग्राम सभा की कुल 0.3551 हे० भूमि का सःशुल्क पुनर्ग्रहण संस्था के
हक में किये जाने हेतु अपनी संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

5- प्रस्ताव के साथ राजस्व ग्राम बाटी के क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक वृन्दावन,
तहसीलदार मथुरा, उप जिलाधिकारी, मथुरा, अपर जिलाधिकारी, मथुरा तथा जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा
हस्ताक्षरित संयुक्त आख्या दिनांक 07-05-2022 कुल 20 बिन्दुओं पर प्रेषित की है, जिसमें मुख्य रूप से
यह उल्लेख किया है कि राजस्व ग्राम बाटी, परगना वृन्दावन, तहसील/जिला-मथुरा में मथुरा वृन्दावन
विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 0.3551 हे० में से पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का
क्षेत्रफल 0.3551 हे० है। पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित उक्त 0.3551 हे० भूमि के किसी भाग का उपयोग
कब्रिस्तान, श्मशान, खाद के गड्ढे, खलिहान, कोल्हू या सड़क के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। प्रस्तावित
भूमि में कोई वृक्ष या जिन्स नहीं है, जिसका प्रतिकर देय हो, प्रस्तावित भूमि का कोई वाद लम्बित नहीं
है। प्रस्तावित भूमि के कोई पट्टेदार या लाइसेन्सी नहीं हैं। प्रश्नगत भूमि, भूमि प्रबन्धक समिति बाटी की
भूमि है जिसे ग्राम पंचायत स्वेच्छा से देने को तैयार है। शासनादेश दिनांक 03-06-2016 के प्रस्तर
4(1)(ग) में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा
निर्धारित दर 55 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के चार गुना अर्थात् दो करोड़ बीस लाख रुपये प्रति हेक्टेयर
के अनुसार 0.3551 भूमि की प्रगणित की गयी धनराशि रु० 78,12,200/-होती है। प्रस्तावित भूमि का
पूँजीकृत मूल्य रु० 9,76,30 रुपये का 150 गुना रु० 14,64,45 रुपये मात्र होता है। इस प्रकार भूमि का
कुल मूल्य रु० 78,13,664.45 रुपये अर्थात् पूर्णांक में रु० 78,13,664/- (अट्ठहत्तर लाख तैरह हजार छः
सौ चौंसठ रुपया मात्र) रुपया होता है। पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित ग्राम सभा बाटी की भूमि मानचित्र में हरे
पेंसिल से दर्शायी गयी है, खसरा खतौनी एवं नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। राजस्व ग्राम बाटी में
कोई पात्र व्यक्ति आवंटन हेतु शेष नहीं है। जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु अपनी संस्तुति सहित
प्रस्ताव दिनांक 07-05-2022 प्रेषित किया गया है। चूँकि प्रकरण रु० 40 लाख से अधिक का है अतः
शासनादेश दिनांक 03-06-2016 के प्रस्तर-4(3) में किये गये प्राविधान के अनुसार पुनर्ग्रहण की
कार्यवाही मण्डलायुक्त स्तर से की जानी है।

6- जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने उक्त पत्र में शासन के राजस्व अनुभाग-1 से निर्गत
शासनादेश संख्या-32/744/एक-क-2016-20(5)/2016, दिनांक 03-06-2016 व शासनादेश
संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06-07-2020 तथा अधिसूचना
संख्या-688/एक-क-2020-20(5)/2016, दिनांक 06-07-2020 में प्रतिनिहित/प्रदत्त शक्तियों के

अन्तर्गत उक्त भूमि का सःशुल्क पुर्नग्रहण कर लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोगार्थ मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना है तथा भविष्य में जन सामान्य के लिये उपयोगी होगी।

7- अतः उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोगार्थ राजस्व ग्राम जैत में भूमि पुर्नग्रहण कर उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध एवं तत्कम में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु महत्वपूर्ण आवासीय विकास योजना के भविष्य में जनसामान्य के लिये उपयोगी होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03-06-2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) 4(1)(घ), 4(3) एवं प्रस्तर-5(3), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त शक्ति, शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06-07-2020 के प्रस्तर-2 एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06-07-2020 की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोग के लिए मैं अमित गुप्ता, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उपरांकित राजस्व ग्राम बाटी की अनुसूची के कॉलम संख्या-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि जो अब तक ग्राम सभा बाटी के अधिकार में थी, का सःशुल्क पुर्नग्रहण कर अपने अधिकार में लेते हुए मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

(अमित गुप्ता)
आयुक्त

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-5, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, मथुरा को उनके पत्र संख्या-126/सात-बी/भू0व्य0/2022, दिनांक 07-05-2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वॉछित धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में शीघ्र जमा कराये जाने सहित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा को उनके पत्र संख्या-48/अर्जन/म0वृ0वि0प्रा0/2021-22, दिनांक 08-04-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अमित गुप्ता)
आयुक्त

प्रपत्र 209 (1)

17035

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

भारतीय स्टेट बैंक मथुरा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)

उपाध्यक्ष

संस्था का नाम धनराशि जमा की

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

जा रही है उसका नाम

2. पता

32 सिविल लाइन्स मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण

(धनराशि किस हेतु जा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जा की जा रही है ।)

लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु राजस्व ग्राम वाटी के मध्य आ रही ग्राम समाज की नाली एवं चकरोड की भूमि का पुनर्ग्रहण भूमि 0.3551 है० के मूल्यांकन की धनराशि को राज कोष में जमा करने के सम्बन्ध में ।

5. चालान की सकल राशि

रूपये 78,13,664/-

6. चालान की निवल राशि

रूपये 78,13,664/-

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :

राज्य सरकार के राज कोष लेखा

0029- भू-राजस्व

800- अन्य प्राप्तियाँ

08- मालिकाना राजस्व

0806- प्रकीर्ण प्राप्तियाँ

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक

उपमुख्यलेखा-शीर्षक

लघु-शीर्षक

उप-शीर्षक

व्यौरेवार शीर्षक

धनराशि(अंको में)

0 0 2 9

0 8

8 0 0

0 8 0 6

78,13,664/-

78,13,664/-

धनराशि (शब्दों में) रूपये अठहत्तर लाख तेरहा हजार छः सौ चौसठ मात्र

पंजाब नेशनल बैंक मथुरा डीडी सं० 216985 दिनांक 30.05.2022

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

07/05/2022

मुख्य अधिकारी

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण

मथुरा

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :

अंको में रू०

शब्दों में रू०

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/

बैंक की मुहर सहित

STATE BANK OF INDIA

BRANCH - MATHURA MAIN BRANCH

0000678

Uttar Pradesh State Government Treasury Challan

Name of Treasury	MATHURA	Name of Depositor	MATHURA VRINDAVAN VIKAS PRADHIKARAN
Treasury Code	0700	Address of Depositor	MATHURA MATHURA, MATHURA MATHURA, UTTAR PRADESH, 281001
Financial Year	2022-2023		

Govt Ref No

Registration Number

Purpose

Head Code	Column Code	Div Code	Head Description	SR.No	Amount
0029000000000000			LAND REVENUE	1	7813664

Total Amount ₹ 78,13,664.00

Amount in Words - SEVENTY EIGHT LAKHS THIRTEEN THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY FOUR ONLY

Date of Tender of
Challan

01.06.2022

Date of Realization

01.06.2022

Challan No

0700/01/F100070

Mode of Deposit

BGL Transfer

Journal No - 293231845 This is a Computer generated receipt, hence does not required signature

